रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 1985/फाल्गुन 27, 1906
No. 130] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 1985/PHALGUNA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1985

का. आ. 202(अ) :—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 11ख के साथ पठित धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 98(अ)-आई. डी. आर. ए./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 का एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

(1) "लघु एककक" शीर्ष के स्थान पर "लघु औद्योगिक उपक्रम" शीर्षक रखा जाएगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित शीर्ष के नीचे मद 1 में "20 लाख रु." पद के स्थान पर "35 लाख रु." पद रखा जाएगा

(2) "अनुषंगी" शीर्ष के स्थान पर "अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम" शीर्षक रखा जाएगा तथा मद सं. 2 में प्रतिस्थापित शीर्ष के नीचे "25 लाख रु." पद के स्थान पर "45 लाख रुपये" पद रखा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 10(37)/85-एल. पी.]

बृजेन्द्र सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 1985

S.O. 202(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B read with section 11B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments to this Ministry's notification No. S.O. 98(E)|IDRA|29B|73|1, dated the 16th February, 1973, namely :—

In the said notification,—

(i) for the heading "Small Scale Units", the heading "Small Scale Industrial Undertakings" shall be substituted and under the heading so substituted in item No. 1, for the expression "Rs. 20 lakhs" the expression "Rs. 35 lakhs" shall be substituted ;

(ii) for the heading "Ancillaries" the heading "Ancillary Industrial Undertakings" shall be substituted and under the heading so substituted in item No. 2, for the expression "Rs. 25 lakhs", the expression "Rs. 45 lakhs" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 10|37|85-LP]

B SAHAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985